

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – नियमित टीकाकरण

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

वैक्सिन सत्र स्थल तक पहुँचाने (Alternate Vaccine Delivery to Session Sites) के मद में

एफ०एम०आर० कोड संख्या – C – 3.1 & 3.2

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)

पार्ट – सी.

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 – 10 वाक्य अधिकतम)

वैक्सिन सत्र स्थल तक पहुँचाने (Alternate Vaccine Delivery to Session Sites) हेतु व्यवस्था के अन्तर्गत प्रति टीकाकरण दिवस के दिन पी.एच.सी. से सत्र स्थल तक व्यक्तिगत कूरियर एवं वैसे जगहों पर जहाँ यातायात की कमी है, वहाँ किसी प्रकार के वाहन की व्यवस्था करने हेतु राशि का यथ सुनिश्चित किया जाये। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के टीकाकरण हेतु प्रति शहरी सत्र स्थल पर वैक्सिन पहुँचाने के लिये उपयोग किया जायेगा।

इकाई राशि (रु० लाख में)

50/- रुपये प्रति वैक्सिन कैरियर प्रतिदिन प्रति सत्र स्थल पर। साथ ही वैसे दूरदराज के क्षेत्रों (Hard to Reach Area/ Brick klins/ Nomadic etc.) अर्थात् जिनकी दूरी 10 कि.मी. से अधिक या नदी पार करना पड़ता हो या पहाड़ी, इट भटठा/ खानाबदोश आदि दुर्गम क्षेत्रों के लिए 100/- रुपये प्रति वैक्सिन कैरियर प्रतिदिन प्रति सत्र स्थल की दर से देय है। तथा शहरी क्षेत्र के टीकाकरण हेतु प्रति शहरी सत्र स्थल पर वैक्सिन पहुँचाने के लिये भी नियमित रूप से 50/- रु० प्रति सत्र स्थल की दर से देय है।

वित्तीय दिशा निर्देशन

नियमित टीकाकरण स्थल संख्या (शहरी एवं ग्रामीण सहित) एवं वैसे विशेष दूर – दराज , दुर्गम के क्षेत्रों का विवरण नियमित टीकाकरण कार्ययोजना के अन्तर्गत पूर्व चिन्हित होना आवश्यक है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डा.गोपाल कृष्ण, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी प्रतिरक्षण

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612–2290351 